



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-29012026-269636
CG-TL-E-29012026-269636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947

No. 376]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 28 जनवरी, 2026

का.आ. 404(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, आंध्र प्रदेश राज्य के काकिनाडा ज़िले में संखावरम मंडल के अन्नावरम एवं अरेंपुडी ग्रामों तथा थोंडांगी मंडल के ए. कोठापल्ली एवं गोपालापटनम ग्रामों में, अन्नावरम यार्ड में कि.मी. 664/27-29 पर समपार संख्या 441 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण, अर्थात् एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दापुरम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दापुरम आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम

प्राधिकारी (CALA) द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (2) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी (CALA) के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: काकिनाडा ज़िले में संखावरम मंडल के अन्नावरम एवं अरेंपुडी ग्रामों तथा थोंडांगी मंडल के ए. कोथापल्ली एवं गोपालापटनम ग्रामों में, अन्नावरम यार्ड में कि.मी. 664/27-29 पर समपार संख्या 441 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण हेतु, कुल Ac 5.08 Cts क्षेत्रफल की भूमि।

ज़िले का नाम : काकिनाडा						
डिवीजन का नाम : पेद्दापुरम						
मंडल का नाम : संखावरम						
ग्राम का नाम : अन्नावरम						
क्रम सं.	LP सं.	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (Ac.Cts.)	हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल
1	606	128	I-D	ज़ीरोयिति	0.0001	0.0000404600
2	622	128	I-D	ज़ीरोयिति	0.008	0.0032374851
3	621	128	I-D	ज़ीरोयिति	0.017	0.0068796559
4	618	128	I-D	ज़ीरोयिति	0.005	0.0020234282
5	617	128	I-D	ज़ीरोयिति	0.005	0.0020234282
6	615	128	I-D	ज़ीरोयिति	0.001	0.0004046856
7	583	129-2	I-D	ज़ीरोयिति	0.022	0.0089030841
8	639	121-1	I-D	ज़ीरोयिति	0.0001	0.0000404600
Total					0.0582	0.0235526871
ज़िले का नाम : काकिनाडा						
डिवीजन का नाम : पेद्दापुरम						
मंडल का नाम : संखावरम						
ग्राम का नाम : अरेंपुडी						
क्रम सं.	LP सं.	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (Ac.Cts.)	हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल
1	658	185-4	GD	ज़ीरोयिति	0.002	0.0008093712
2	750	185-5	GD	ज़ीरोयिति	0.001	0.0004046856
Total					0.003	0.0012140568

जिले का नाम : काकिनाडा						
डिवीजन का नाम : पेद्दापुरम						
मंडल का नाम : थोंडांगी						
ग्राम का नाम : गोपालापट्टनम						
क्रम सं.	LP सं.	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (Ac.Cts.)	हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल
1	271	65-1, 65-1A, 65-1B, 65-2C	सूखी	ज़ीरोयिति	0.008	0.0032374851
2	272	65-2B, 65-3	सूखी	ज़ीरोयिति	0.01	0.0040468560
3	273	65-2A, 65-4	गीली	ज़ीरोयिति	0.006	0.0024281139
4	274	66, 66-2, 66-A	सूखी	ज़ीरोयिति	0.001	0.0004046856
5	277	64	पोरम्बोक	सरकारी	3.012	1.2189132000
6	278	66	गीली	ज़ीरोयिति	0.035	0.0141639970
7	395	112	पोरम्बोक	सरकारी	0.046	0.0186155400
8	396	113	पोरम्बोक	सरकारी	0.978	0.3957825600
9	397	114, 114-1, 114-2, 114-3, 114-A, 114-B, 114-C	सूखी	ज़ीरोयिति	0.091	0.0368263930
10	398	115-1, 115-1B	सूखी	ज़ीरोयिति	0.016	0.0064749703
Total					4.203	1.7008938009
जिले का नाम : काकिनाडा						
डिवीजन का नाम : पेद्दापुरम						
मंडल का नाम : थोंडांगी						
ग्राम का नाम : ए. कोथापल्ली						
क्रम सं.	LP सं.	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (Ac.Cts.)	हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल
1	498	1-2	G.D	ज़ीरोयिति	0.005	0.00202342820
2	513	1-2	G.D	ज़ीरोयिति	0.0008	0.00032374851
3	454	3	I.D	ज़ीरोयिति	0.002	0.00080937128
4	490	2	G.P	पोरम्बोक	0.808	0.32698600000
Total					0.8158	0.33014254799
Grand Total					5.08	2.055803092

[फा.सं: RSP/Gazette/20A/LC.No.441/BZA-VSKP/BZA]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 28th January, 2026

S.O. 404(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for the execution of The Special Railway Project namely, “Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 441 at Km.664/27-29 in Annavaram yard” in Annavaram & Arempudi Villages of Sankhavaram Mandal and A.Kothapalli & Gopalapatnam Villages of Thondangi Mandal in Kakinada District in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority for Land Acquisition(CALA), namely, Revenue Divisional Officer, Peddapuram in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Peddapuram shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (2) of section 20-D of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 441 at Km. 664/27-29 in Annavaram yard, to an extent of Ac 5.08 Cts in Annavaram & Arempudi Villages of Sankhavaram Mandal and A.Kothapalli & Gopalapatnam Villages of Thondangi Mandal in Kakinada District.

Name of the District : Kakinada						
Name of the Division : Peddapuram						
Name of the Mandal : Sankhavaram						
Name of the Village : Annavaram						
SL NO	LP No.	Survey Number	Nature Of Land	Type of Land	Land Area in (Ac.Cts.)	Land Area in Hectares
1	606	128	I-D	Zeroyiti	0.0001	0.0000404600
2	622	128	I-D	Zeroyiti	0.008	0.0032374851
3	621	128	I-D	Zeroyiti	0.017	0.0068796559
4	618	128	I-D	Zeroyiti	0.005	0.0020234282
5	617	128	I-D	Zeroyiti	0.005	0.0020234282
6	615	128	I-D	Zeroyiti	0.001	0.0004046856
7	583	129-2	I-D	Zeroyiti	0.022	0.0089030841
8	639	121-1	I-D	Zeroyiti	0.0001	0.0000404600
Total					0.0582	0.0235526871

Name of the District : Kakinada						
Name of the Division : Peddapuram						
Name of the Mandal : Sankhavaram						
Name of the Village : Arempudi						
SL NO	LP No.	Survey Number	Nature Of Land	Type of Land	Land Area in (Ac.Cts.)	Land Area in Hectares
1	658	185-4	GD	Zeroyiti	0.002	0.0008093712
2	750	185-5	GD	Zeroyiti	0.001	0.0004046856
Total					0.003	0.0012140568
Name of the District : Kakinada						
Name of the Division : Peddapuram						
Name of the Mandal : Thondangi						
Name of the Village : Gopalapatnam						
SL NO	LP No.	Survey Number	Nature Of Land	Type of Land	Land Area in (Ac.Cts.)	Land Area in Hectares
1	271	65-1, 65-1A, 65-1B, 65-2C	Dry	Zeroyiti	0.008	0.0032374851
2	272	65-2B, 65-3	Dry	Zeroyiti	0.01	0.0040468560
3	273	65-2A, 65-4	Wet	Zeroyiti	0.006	0.0024281139
4	274	66, 66-2, 66-A	Dry	Zeroyiti	0.001	0.0004046856
5	277	64	Poramboke	Govt	3.012	1.2189132000
6	278	66	Wet	Zeroyiti	0.035	0.0141639970
7	395	112	Poramboke	Govt	0.046	0.0186155400
8	396	113	Poramboke	Govt	0.978	0.3957825600
9	397	114, 114-1, 114-2, 114-3, 114-A, 114-B, 114-C	Dry	Zeroyiti	0.091	0.0368263930
10	398	115-1, 115-1B	Dry	Zeroyiti	0.016	0.0064749703
Total					4.203	1.7008938009
Name of the District : Kakinada						
Name of the Division : Peddapuram						
Name of the Mandal : Thondangi						
Name of the Village : A. Kothapalli						
SL NO	LP No.	Survey Number	Nature Of Land	Type of Land	Land Area in (Ac.Cts.)	Land Area in Hectares
1	498	1-2	G.D	Zeroyiti	0.005	0.00202342820
2	513	1-2	G.D	Zeroyiti	0.0008	0.00032374851
3	454	3	I.D	Zeroyiti	0.002	0.00080937128
4	490	2	G.P	Poramboke	0.808	0.32698600000
Total					0.8158	0.33014254799
Grand Total					5.08	2.055803092

[F. No. : RSP/Gazette/20A/LC.No.441/BZA-VSKP/BZA]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP